संख्या–वे0आ0–2-433 / दस–2005–44 / 2001 टी0सी0

प्रेषक,

श्री मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव-II
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सचिव / प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ : दिनांक 11 मई, 2006

विषय :– प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढांचे का पुर्नगठन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्त
(वेतन आयोग)
अनुभाग–2

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के परिप्रेक्ष्य में एवं वेतनमानों की विसंगतियों जैसे प्रकरणों पर विचारार्थ गठित मुख्य सचिव समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढांचे के पदों के पदनाम, वेतनमान, भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता, भर्ती की प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैं :–

राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहन चालकों सहित प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के पदों को निम्नानुसार 4 ग्रेडों में रखा जाय :–

क्रम सं0	ग्रेड / पदनाम	वेतनमान	पदों का प्रतिशत	भर्ती की विधि
1	2	3	4	5
1	वाहन चालक ग्रेड–4	3050–4590	35	वाहन चालक ग्रेड–4 के पद पर सीधी भर्ती नियमानुसार वर्तमान में निर्धारित अर्हताओं के आधार पर की जायेगी।
2	वाहन चालक ग्रेड–3	4000–6000	30	वाहन चालक ग्रेड–3 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–4 से की जायेगी। जिन्होंने 9 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
3	वाहन चालक ग्रेड–2	4500–7000	30	वाहन चालक ग्रेड–2 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–3 के पदधारकों से की जायेगी जिन्होंने ग्रेड–3 के पद पर 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा अथवा वाहन चालक ग्रेड–4 की सेवाओं को जोड़ते हुये कुल 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और इस

				हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
4	वाहन चालक ग्रेड–1	5000–8000	5	वाहन चालक ग्रेड–1 पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–2 पदधारकों से की जायेगी जिन्होंने ग्रेड–2 के पद पर 3 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

नोट :–वाहन चालक ग्रेड–4 से वाहन चालक ग्रेड–3 के पदों एवं वाहन चालक ग्रेड–3 से वाहन चालक ग्रेड–2 के पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट का पाठ्यक्रम संलग्नक के अनुसार होगा।

2–उपरोक्त व्यवस्था प्रदेश शासन के अधीन सभी विभागों में वाहन चालक के प्रत्येक संवर्ग में अलग–अलग रखी जाये, परन्तु शासन के एक ही विभाग के नियंत्रणाधीन किन्हीं कार्यालयों में वाहन चालकों के पदों की संख्या कम होने की दशा में पदोन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यालयों के वाहन चालकों का एकीकृत संवर्ग बनाया जा सकेगा।

3–कुछ अधिष्ठानों/विभागों, जहां वाहन चालक के क्रम संख्या में पद उपलब्ध हैं, वहां पर उक्तानुसार प्रतिशत के आधार पर विभाजन में कठिनाई हो सकती है। इसे देखते हुये उचित होगा कि जिन विभागों में वाहन चालकों के पदों की संख्या 10 से कम है, वहां पर इस संवर्ग के पदों का विभाजन विभिन्न ग्रेडों में निम्नानुसार किया जाय।

क्रम सं0	वाहन चालकों की संख्या	पुनर्गठन के फलस्वरूप पदों की संख्या			
		वाहन चालक ग्रेड–4 3050–4590	वाहन चालक ग्रेड–3 4000–6000	वाहन चालक ग्रेड–2 4500–7000	वाहन चालक ग्रेड–1 5000–8000
1	1	1	–	–	–
2	2	1	1	–	–
3	3	1	1	1	–
4	4	1	1	1	1
5	5	2	1	1	1
6	6	2	2	1	1
7	7	2	2	2	1
8	8	3	2	2	1
9	9	3	3	2	1

4–उपरोक्तानुसार स्वीकृत ग्रेड/वेतनमान में वर्तमान वाहन चालकों के समायोजन/पदोन्नति की प्रक्रिया नियमानुसार होगी :–

(क) सम्बन्धित पदधारक वर्तमान में जो वेतनमान प्राप्त कर रहा है वह तदनुसार उसी ग्रेड में समायोजित हो जायेगा उदाहरणार्थ–यदि किसी विभाग में कोई वाहन चालक वर्तमान में रु0 4000–6000 का वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त कर रहा है तो उसे वाहन चालक ग्रेड–3 के पद पर समायोजित कर दिया जायेगा और यदि वाहन चालक वर्तमान

में रु0 4500–7000 का वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त कर रहा है तो उसे वाहन चालक ग्रेड–2 के पद पर समायोजित कर दिया जायेगा।

(ख) राज्य सम्पत्ति विभाग में 2 पद मोटर मैकेनिक के रु0 3200–4900 के वेतनमान में हैं। इन पदधारकों को यदि वह वेतनमान रु0 3200–4900 अथवा वैयक्तिक वेतनमान रु0 4000–6000 में कार्यरत हैं तो उन्हें वाहन चालक ग्रेड–3 में समायोजित किया जाय तथा यदि वह रु0 4500–7000 का वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें वाहन चालक ग्रेड–2 में समायोजित कर दिया जाय।

(ग) उपरोक्तानुसार वर्तमान वाहन चालकों को विभिन्न ग्रेड्स में संमायोजित करने के बाद यदि ग्रेड–3, ग्रेड–2 व ग्रेड–1 में निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुये भरा जाय। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त समायोजन के फलस्वरूप यदि किसी ग्रेड में पदधारकों की संख्या निर्धारित विभाजन से आगणित पदों की संख्या से अधिक हो जाती है तो अधिक पदधारकों द्वारा किसी कारणवश पद रिक्त किये जाने की दशा में वह पद आनुपातिक विभाजन के अनुसार ही सम्बन्धित ग्रेड में समायोजित हो जायेंगे।

(घ) उपरोक्तानुसार उच्च वेतनमान के पदों के विरुद्ध कर्मचारियों के समायोजन अथवा पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन किया जायेगा।

5–वाहन चालक के ऐसे पदधारक जिनका उपरोक्तानुसार समायोजन ग्रेड–3, ग्रेड–2 तथा ग्रेड–1 के पदों के सापेक्ष होता है, उनका सम्बन्धित ग्रेड के वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम 22ए(1) के अनुसार किया जायेगा। सम्बन्धित ग्रेड में पदोन्नति की निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर नियुक्त होने वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण सामान्य नियमों के अनुसार होगा।

6–कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव-II

संख्या–वे0आ0–2-4330 / दस–2005–44 / 2001 टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार,
उप सचिव।

संख्या–वे0आ0–2-433 / दस–2006–44 / 2001 टी0सी0 का संलग्नक

वाहन चालक ग्रेड–4 से वाहन चालक ग्रेड–3 के पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट का पाठ्यक्रम

(1) अंग्रेजी के अंकों एवं अक्षरों / चिन्हों को पढ़ने में सक्षम हो।

(Must be albe to read English numberals and figures)

(2) यातायात नियमों का अच्छा ज्ञान हो।

(Must have good knowledge of traffic regulation.)

(3) वाहन के संचालन सम्बन्धी साधारण खराबियों को ढूढ़ने एवं उनके ठीक करने में सक्षम हो

(Must be able to locate faults and carry out minor running repairs)

(4) वाहन के पहिये बदलने एवं पहियों के टायरों में हवा के सही दबाव को समझने में सक्षम हो।

(Must be able to change wheels and correctly inflate tyres.)

परीक्षा–उपरोक्त आधार पर व्यवहारिक परीक्षा होगी।

(Test-Practical test based on above).

वाहन चालक ग्रेड–3 से वाहन चालक ग्रेड–2 पर पदोन्नति हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट का पाठ्यक्रम

(1) अंग्रेजी के अंकों एवं अक्षरों / चिन्हों को पढ़ने में सक्षम हो।

(Must be able to read english numberals and figures.)

(2) यातायात सम्बन्धी नियमों की गहन जानकारी हो।

(Must have a thorough knowledge of traffic regulation.)

(3) पेट्रोल एवं डीजल इंजनों की कार्य प्रणाली की अच्छी जानकारी हो एवं उनकी साधारण तकनीकी खराबियों को ढूढ़ने एवं ठीक करने में सक्षम हो।

(Must have good knowledge of petrol and diesel engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects.)

(4) कारब्यूरेटर, प्लग इत्यादि को साफ करने में सक्षम हो।

(Must be able to clear carburettor plug, etc.)

परीक्षा–उपरोक्त आधार पर व्यवहारिक परीक्षा होगी।

(Test-Practical test based on above).

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार,
उप सचिव।